

संकल्प

एम०ई०एस० योजनान्तर्गत वी०टी०पी० पंजीयन हेतु विभिन्न संस्थाओं के आवेदन पत्र निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना को प्राप्त हुए। भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में श्री सुमित कुमार साह, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बारसोई, कटिहार को निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण के पत्रांक-2034 दिनांक-08.10.2015 द्वारा इस्तेयाक वेलफेयर सोसायटी, ग्राम+पो०-एन०एच०-31, मिरचाईबाड़ी चौक, जिला-कटिहार एवं इस्तेयाक वेलफेयर सोसायटी, ग्राम+पो०- कोहरा, जिला-कटिहार का नियमानुसार तकनीकी जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

2. श्री साह के द्वारा उक्त संस्थानों के संबंध में संतोषजनक प्रतिवेदन समर्पित किया गया। श्री साह के द्वारा उक्त संस्थाओं के संबंध में समर्पित जाँच प्रतिवेदन के जाँचोपरान्त संदेहास्पद पाये जाने के फलस्वरूप निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के पत्रांक-383 दिनांक-29.05.2016 द्वारा तत्कालीन उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग एवं उप निदेशक, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण को उक्त संस्थाओं की जाँच करने का आदेश दिया गया। संयुक्त जाँच दल द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि श्री साह के द्वारा जिन संस्थाओं का प्रतिवेदन संतोषजनक समर्पित किया गया वास्तव में उन संस्थाओं का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इसकी संपुष्टि स्वयं श्री साह के द्वारा भी लिखित रूप से संयुक्त जाँच दल को समर्पित की गयी।


3. तद् के आलोक में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण द्वारा श्री साह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी जिसका जवाब संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में श्री साह के विरुद्ध कर्तव्य के प्रति लापरवाही/उदासीनता एवं गलत जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर वरीय पदाधिकारी को गुमराह करने/धोखाधड़ी करने का आरोप प्रपत्र-'क' गठित किया गया। उक्त गठित आरोप के लिए श्री साह से विभागीय पत्रांक- 2519 दिनांक-22.08.2016 एवं पत्रांक-2877 दिनांक-29.09.2016 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री साह के स्पष्टीकरण की सक्षम प्राधिकार के द्वारा समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत श्री साह के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप को प्रमाणित पाया गया। उक्त के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री साह के विरुद्ध असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने का लघु दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव, श्री सुमित कुमार साह, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बारसोई, कटिहार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग V के नियम 14 के कंडिका (v) के प्रावधान के आलोक में असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने का लघु दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

5. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोपित पदाधिकारी श्री सुमित कुमार साह, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बारसोई, कटिहार को निर्बंधित डाक से प्राप्त करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


सरकार के संयुक्त सचिव
29/12/16
कृ०पृ०उ०

